

अनुमति की शर्तें ।

- (a) नगर भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (b) किसी भी प्रकार का विवाद (आसिक्त, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निर्माण किसी शर्तितुति से होने संभवदायी होगा ।
- (c) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (d) स्वीकृत नगरों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खेड़की केवल आवासीय पूर्वाजनाब्द

नगर नय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 905 दिनांक 10/03/2024

श्री कमल चन्द गांधी पुत्र श्री डॉ पद्म चन्द गांधी

न राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 61659/- जमा कर रसीद संख्या 9069/5745/5746

दिनांक 10/03/2024 को जमा करा दी है ।

रि. नं० 448-ए।की (ऊरी)
पुष्पम ही शे. सरपान

दिनांक 12/3/2024

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

दक्षिण

2838
03/21